

प्रेषक,
जे०एस० दीपक,
सचिव,
बेसिक शिक्षा,
उ०प्र० शासन।
सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी,
उ०प्र०।

शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक 26 दिसम्बर, 06

विषय: तहतानियां स्तर के अनुदानित मदरसों को 01 जनवरी, 07 से मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत गर्म पका-पकाया भोजन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत तहतानियां स्तर (कक्षा 1-5) के सभी अनुदानित मदरसों को 01 जनवरी, 2007 से मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत आच्छादित किया जायेगा। प्रदेश में इस प्रकार के मदरसों की जनपदवार संलग्न सूची के अनुसार संख्या 359 है तथा इनमें तहतानियां स्तर के छात्रों की संख्या 1,56,245 है।

उक्त प्रकार के मदरसे ग्रामीण क्षेत्रों में जिस ग्राम सभा की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत स्थित होंगे वहां की ग्राम सभा का यह दायित्व होगा कि वह संबंधित मदरसों को योजनान्तर्गत गर्म पका-पकाया भोजन उपलब्ध करायेंगे। नगरीय क्षेत्रों में भोजन उपलब्ध कराने का दायित्व उस वार्ड समिति/एन०जी०ओ० का होगा जो भी उस क्षेत्र में मध्यान्ह भोजन प्रदान कर रहा है। इन मदरसों हेतु खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत (कन्वर्जन कास्ट) की धनराशि संबंधित ग्राम सभा/वार्ड समिति/एन०जी०ओ० को उपलब्ध करायी जायेगी।

अनुदानित मदरसों को सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालय विकास अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इस अनुदान से अनुदानित मदरसों हेतु खाना पकाने के बर्तनों की व्यवस्था की जायेगी।

कृपया तदानुसार योजनान्तर्गत सभी अर्ह मदरसों को आच्छादित करने की कार्यवाही तुरन्त कर अवगत करायें।

संलग्नक-उक्तवत्।

भवदीय,
ह०
(जे०एस० दीपक)
सचिव।

पृष्ठांकन समसंख्यक (1) दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ०प्र० शासन ।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन ।
3. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन ।
4. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन ।
5. प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ०प्र० शासन ।
6. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र० शासन ।
7. आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन ।
8. सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, उ०प्र० शासन ।
9. समस्त मण्डलायुक्त उ०प्र० ।
10. निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ०प्र० लखनऊ ।
11. शिक्षा निदेशक (बे०) उ०प्र० लखनऊ ।
12. निदेशक, पंचायती राज विभाग ।
13. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग ।
14. प्रबंध निदेशक, उ०प्र० राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम ।
15. वित्त नियंत्रक, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद ।
16. महालेखाकार, उ०प्र० ।
17. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, उ०प्र० ।
18. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ०प्र० ।
19. समस्त कोषाधिकारी, उ०प्र० ।
20. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी ।
21. समस्त जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी ।
22. क्षेत्रीय प्रबंधक भारतीय खाद्य निगम ।
23. रजिस्ट्रार/निरीक्षक अरबी फारसी मदरसा ।
24. पंचायती राज अनुभाग-3, उ०प्र० शासन ।
25. बजट अनुभाग-2, उ०प्र० शासन ।
26. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से
ह०
(आर०सी० घिल्डियाल)
संयुक्त सचिव ।